



बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी और धारा 102 के साथ पठित आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 28 और अनुसूची III (आचार संहिता) के अधीन मेसर्स डीलमनी सेक्यूरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के मामले में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का आदेश

Order of Insurance Regulatory and Development Authority of India in the matter of M/s. Dealmoney Securities Private Limited, under Regulation 28 and Schedule III (Code of Conduct) of IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015 read with Section 42 D and Section 102 of Insurance Act, 1938

1. पृष्ठभूमि / Background

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इस आदेश में इसके बाद "प्राधिकरण" या "आईआरडीएआई" के रूप में उल्लिखित) ने 'कारपोरेट एजेंट' के रूप में कार्य करने के लिए 01.04.2016 – 31.03.2019 की अवधि के लिए मेसर्स डीलमनी सेक्यूरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड (इस आदेश में इसके बाद "डीएसपीएल" या "सीए" के रूप में उल्लिखित) को संख्या सीए0081 से युक्त पंजीकरण प्रमाणपत्र (इस आदेश में इसके बाद "सीओआर" के रूप में उल्लिखित) जारी किया था तथा बाद में उक्त सीओआर का नवीकरण 31.03.2022 तक तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए किया गया था।

The Insurance Regulatory and Development Authority of India (hereinafter referred to as "the Authority" or "IRDAI") had issued Certificate of Registration (hereinafter referred to as "CoR") with no. CA0081 to M/s Dealmoney Securities Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as "DSPL" or" CA") for the period 01.04.2016-31.03.2019 to act as a 'Corporate Agent' and subsequently the CoR was renewed for a further period of three years till 31.03.2022.

ख. प्राधिकरण ने पाया कि दैनिक समाचारपत्रों में डीएसपीएल के संबंध में समाचारों संबंधी कई आलेख प्रकाशित हो रहे हैं। ये आलेख माह नवंबर और दिसंबर, 2019 में प्रकाशित हुए थे जिनमें डीएसपीएल के कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ियों का उल्लेख किया गया था।

b. The Authority had noted that there were several news articles appearing regarding DSPL in the news dailies. The articles appeared in the month of November and December, 2019 citing fraud perpetrated by the employees of the DSPL.

ग. दिनांक 24 दिसंबर 2019 के टाइम्स आफ इंडिया के समाचार एवं कई अन्य समाचार आलेखों ने सूचना दी कि विधान नगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, कोलकाता ने सुगम पार्क, साल्ट लेक, सेक्टर V, कोलकाता में स्थित डीएसपीएल के कार्यालय पर छापे संचालित किये थे। यह सूचना मिली कि पुलिस को कोलकाता, त्रिपुरा, ओडिशा तथा उत्तर-पूर्व के अन्य राज्यों से डीएसपीएल के विरुद्ध दुराचरण और धोखाधड़ी की अनेक शिकायतें मिली थीं और 1000 से अधिक व्यक्ति इनके शिकार हुए थे। उक्त खबरों के अनुसार, जनता को धोखा देने के लिए डीएसपीएल द्वारा विभिन्न प्रकार की कार्यपद्धतियाँ प्रयुक्त की गई थीं, जिनमें डीएसपीएल के कर्मचारी द्वारा निम्नलिखित रूप में आचरण शामिल थाः

पृष्ठ / Page 1 / 13

c. News article of Times of India newspaper dated December 24, 2019 and several other articles reported that the Bidhan Nagar Cyber Crime Police Station, Kolkata had conducted raids on the office of the DSPL, situated at Sugam Park, Salt Lake, Sector V, Kolkata. It was reported that the police received many complaints from Kolkata, Tripura, Odisha and other states of North East against the DSPL on misconduct and cheating and there were more than 1000 victims. As per the articles, different modus operandi were used by DSPL to cheat public, which include the employee of DSPL calling

- i. जनता को आईआरडीएआई के अधिकारी के रूप में फोन करना और व्यपगत पालिसी का पुनःप्रवर्तन (रिवाइवल) करने का प्रस्ताव करना, the public claiming as IRDAI official and offering to revive lapsed policy.
- ii. जनता को ऐसे अधिकारियों के रूप में फोन करना जो न्यूनतम दस्तावेजों के आधार पर आसान वैयक्तिक ऋणों की व्यवस्था करेंगे, as officials who would arrange easy personal loans against minimum documents,
- iii. डीएसपीएल के काल सेंटर के कर्मचारी के रूप में ऐसे लोगों को फोन करना जिन्होंने बीमा के प्रीमियमों का भुगतान करना बंद किया था, as employee of the call centre of DSPL, calls were made to people who had stopped paying premiums for an insurance
- iv. बीमा राशि का ब्याज के साथ भुगतान प्राप्त करना और उनके पास पुनः एक छोटा निवेश करने के लिए उन व्यक्तियों से कहना। to get the insurance money with interest and ask them to make a small investment with them again.

उक्त समाचार आलेखों ने सूचना दी कि पुलिस ने डीएसपीएल के श्री अभिजीत डे और श्री प्रदीप कुमार राय को गिरफ्तार किया है।

The articles reported that the Police arrested one Mr. Abhijeet Dey, Director of the DSPL and Mr. Pradeep Kumar Roy.

घ. प्राधिकरण ने उपर्युक्त समाचारों के संबंध में डीएसपीएल से कई स्पष्टीकरण माँगे थे। डीएसपीएल ने अपने ई-मेल दिनांक 31 जुलाई, 2021 के द्वारा दस्तावेजी प्रमाणों के साथ प्रस्तुतीकरण किया कि उन्होंने गलत आचरण करनेवाले कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराने के द्वारा तथा असंतुष्ट शिकायतकर्ताओं को क्षतिपूर्ति करने के द्वारा भी उनके विरुद्ध सुधारात्मक कार्रवाई की है।

d. The Authority had sought several clarifications from DSPL on the said news article. DSPL vide its email dated 31st July, 2021 submitted along with documentary evidences, that they took corrective actions against the errant employees by issuing show cause notices and lodging FIRs and also compensating the aggrieved complainants.

ङ. कारपोरेट एजेंट द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरणों की संवीक्षा करने के बाद, आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के विभिन्न उपबंधों के कथित उल्लंघनों के लिए 29 सितंबर 2021 को एक कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया, जिसके लिए उत्तर 3 नवंबर 2021 को प्राप्त हुआ। उत्तर देते हुए, डीएसपीएल ने एक वैयक्तिक सुनवाई के लिए अनुरोध किया जिसके लिए अवसर प्राधिकरण ने प्रदान किया जिसे 15 दिसंबर, 2023 को आयोजित किया गया। उक्त सुनवाई में डीएसपीएल की ओर से श्री पांडू नाइग, निदेशक और श्री नासिर पठान, प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित

मेसर्स डीलमनी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में अंतिम आदेश Final Order in the matter of M/s Dealmoney Securities Private Limited

हुए। प्राधिकरण की ओर से सुश्री एस.एन. राजेस्वरी, सदस्य (वितरण), सुश्री जे. अनिता, मुख्य महाप्रबंधक (मध्यवर्ती), सुश्री आर. उमा महेश्वरी, महाप्रबंधक (मध्यवर्ती), श्री कूरपाटि श्रीधर राव, उप महाप्रबंधक (मध्यवर्ती), और श्री रोहित राजदेव, प्रबंधक (मध्यवर्ती) उक्त बैठक में उपस्थित थे।

e. On scrutiny of the submissions made by the Corporate Agent, a Show Cause Notice (SCN) was issued on September 29, 2021 for alleged violations of various provisions of IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015 (hereinafter referred as Corporate Agent Regulations), for which the reply was received on November 3, 2021. While giving reply, DSPL had requested for a personal hearing which was granted by the Authority, and it was held on December 15, 2023. On behalf of the DSPL hearing was attended by Mr. Pandoo Naig, Director and Mr. Nasir Pathan, Authorized Representative. On behalf of the Authority, Ms. S.N. Rajeswari, Member (Distribution), Ms. J. Anita, Chief General Manager, (Intermediaries), Ms. R. Uma Maheswari, General Manager (Intermediaries), Mr. Kurapaty Sridhar Rao, Deputy General Manager (Intermediaries), and Mr. Rohit Rajdev, Manager (Intermediaries) attended the meeting.

आरोपों का विवरण, डीएसपीएल के प्रस्तुतीकरण तथा प्राधिकरण की टिप्पणियाँ और निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

The details of the charges, submissions of the DSPL and the observations and conclusions of the Authority are as under:

2. आरोप सं. / Charge No.1

2.1 कारपोरेट एजेंट विनियम, 2015 के विनियम 22(2) का उल्लंघन – Violation of Regulation22 (2) of Corporate Agents Regulations, 2015 -

2.1.1 विनियम 22 (2) – विधिमान्य पंजीकरण धारित करनेवाला कारपोरेट एजेंट, पंजीकरण के निर्गम के बाद, उन महत्वपूर्ण तथ्यों, जिनके आधार पर उनका पंजीकरण किया गया था, में हुए किसी भी परिवर्तन का प्रकटीकरण एक उचित समय के अंदर परंतु ऐसे परिवर्तन के घटित होने से 30 दिन से अनधिक अवधि में प्राधिकरण को स्वैच्छिक रूप से करेगा।

2.1.1 Reg. 22 (2)- a corporate agent that holds a valid registration shall, subsequent to the issuance of registration, disclose, to the Authority voluntarily, any change in material facts, based on which the registration was made to them, within a reasonable time but not later than 30 days from happening of such change.

2.1.2 इन उपबंधों के अनुसार, किसी भी सीए, जिसे प्राधिकरण द्वारा सीओआर दिया गया है, से अपेक्षित है कि वह पहले से प्रस्तुत की गई सूचना या प्रस्तुत किये गये ब्योरे में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन तत्काल परंतु ऐसे परिवर्तन के घटित होने से 30 दिन से अनधिक अवधि में प्राधिकरण को सूचित करेगा।

2.1.2 As per these provisions, any CA, who has been given CoR by the Authority, is required to inform the Authority of any material change in information or particulars already submitted, forthwith but not later than 30 days from happening of such change.

2.2 उक्त सीए को सीओआर का नवीकरण 01.04.2019 से 31.03.2022 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया गया। इस संबंध में, निम्नलिखित तथ्य पाये गये, जो सीए द्वारा प्राधिकरण को सूचित नहीं किये गये, जोकि कथित रूप से विनियम 22(2) का उल्लंघन हैः

<u>मेसर्स डीलमनी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में अंतिम आदेश</u> Final Order in the matter of M/s Dealmoney Securities Private Limited

पृष्ठ/Page 3/13

2.2 The CA was granted renewal of COR for a period of three years from 01.04.2019 to 31.03.2022. In this regard, the following facts were noticed, which were not informed by the CA to the Authority, allegedly in violation of Regulation 22(2):

- सीए के द्वारा प्रस्तुत किये गये फार्म ए (नवीकरण आवेदन) के बिन्दु 5.1 में यह प्रस्तुत किया गया कि निपटाये गये और लंबित विवाद `शून्य' हैं तथा सीए के कार्यालय में की जा रही धोखाधड़ी के संबंध में सूचित नहीं किया। In the point 5.1 of Form A (renewal application) submitted by the CA, it had submitted that there were 'Nil' settled and pending disputes and had failed to intimate regarding the fraud being perpetrated in the office of the CA.
- II. इसके अतिरिक्त, सीए ने अपने स्वयं के निदेशक के विरुद्ध फाइल की गई एफआईआर के संबंध में सूचित नहीं किया। Further, the CA had failed to intimate regarding the FIR filed by it against its own director.
- III. उक्त सीए ने अपने सीईओ और निदेशक श्री दिशान्त सगवारिया के त्यागपत्र के संबंध में प्राधिकरण को सूचित नहीं किया। The CA had failed to intimate the Authority regarding resignation of its CEO and director- Mr. Dishant Sagwaria.

2.3 डीएसपीएल का प्रस्तुतीकरणः एससीएन में विद्यमान इस आरोप के उत्तर में डीएसपीएल ने निम्नलिखित प्रस्तुतीकरण कियेः

2.3 DSPL Submission: In response to this charge in the SCN, DSPL made the following submissions:

कंपनी के निदेशक के कपटपूर्ण व्यवहारों के विषय में प्रारंभ की गई कार्यवाही के संबंध में प्राधिकरण को सुचित न करने का डीएसपीएल के पास कोई कारण नहीं था अथवा उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। यह मामला डीएसपीएल के लिए एक सदमे के रूप में प्रस्तुत हुआ था तथा वह इस विषय में प्रारंभ की जानेवाली कार्रवाई के संबंध में विचार कर रहा था। इसके अलावा, उपर्युक्त विनियम, 22 में यह विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है कि ऐसी किसी कार्रवाई की सूचना प्राधिकरण को दी जानी चाहिए। तथापि, एक विवेकपूर्ण संस्था के रूप में डीएसपीएल को जैसे ही कथित आशंका की जानकारी मिली, उसने तुरंत भूतपूर्व-निदेशक श्री विक्रम राठौड़ के विरुद्ध पुलिस में एक एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस में की गई शिकायत के आधार पर श्री विक्रम राठौड और अन्य संबंधित व्यक्तियों ने डीएसपीएल के साथ एक समझौता किया जिसके द्वारा उन्होंने प्रवंचना से प्राप्त राशि लौटाने के लिए सहमति व्यक्त की। चूँकि उक्त राशियाँ लौटाने के लिए सहमति बनी थी और उसी स्तर पर मामला निपट गया था, इसलिए प्राधिकरण को सूचित करने के लिए कोई विवाद नहीं बचा था। उक्त एफआईआर फरवरी, 2019 में फाइल की गई थी तथा पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन मार्च, 2019 में प्रस्तुत किया गया था। पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन में यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि श्री विक्रम राठौड ने कंपनी से त्यागपत्र दिया है और उनका त्यागपत्र प्रक्रियाधीन है तथा भूतपूर्व सीईओ श्री दिशान्त सगवारिया ने वैयक्तिक कारणों से त्यागपत्र दिया है। उस समय श्री देवेन बैजल प्रधान अधिकारी थे। प्रधान अधिकारी को आईआरडीएआई को सूचित करने का कार्य सौंपा गया था तथा डीएसपीएल को बताया गया कि उन्होंने आईआरडीएआई को एक ई-मेल और एक पत्र के द्वारा सूचित किया था जो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। चूँकि श्री देवेन बैजल अब डीएसपीएल में कार्यरत नहीं हैं, अतः उक्त ई-मेल संदेश की पुनःप्राप्ति नहीं की जा सकी। हम अपनी कूरियर एजेंसी से वितरण का एक प्रमाण प्राप्त कर सके जो दर्शाता है कि उपर्युक्त संदेश माननीय आईआरडीएआई को प्रेषित किया गया था। वितरण के प्रमाण (पीओडी) की एक प्रति प्रस्तुत की गई है।

<u>मेसर्स डीलमनी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में अंतिम आदेश</u> Final Order in the matter of M/s Dealmoney Securities Private Limited

DSPL had no reason or intention for not informing the Authority regarding the proceedings initiated in the matter of fraudulent practices of the Company's Director. The matter came as a shock to DSPL and it was contemplating on the course of action to be initiated in the matter. Further, it is not specified in the said Regulation, 22 that any such action has to be intimated to the Authority. However, as a prudent organization, as soon as DSPL was aware of alleged misgivings, it filed a complaint with the police who registered an FIR against ex-Director, Mr. Vikram Rathod. Based on the police complaint, Mr. Vikram Rathod and the other connected persons arrived at a settlement with the DSPL whereby they agreed to return the defrauded amount. Since the amounts were agreed to be returned and the matter was resolved at that stage itself, there was no dispute to be reported to the Authority. The FIR was filed in Feb, 2019 and the application for renewal of registration was made in March, 2019. The application for renewal of registration clearly states that Mr. Vikram Rathod has resigned from the company and that his resignation was under process and Ex-CEO Mr. Dishant Sagwaria, had resigned for personal reasons. Mr. Deven Baijal was the principal officer at that point in time. The Principal officer was tasked with informing the IRDAI and DSPL have been told that he had intimated the IRDAI via an email and a letter which could not be retrieved. Since Mr. Deven Baijal is no longer working with DSPL, the email communication could not be retrieved. We could retrieve a proof of delivery from our courier agency which shows that the said communication was sent to Hon. IRDAI. A copy of the POD is submitted

सुनवाई के दौरान डीएसपीएल ने बताया कि श्री विक्रम राठौड़, निदेशक के त्यागपत्र के बाद, जो उक्त धोखाधड़ी में संबद्ध थे, उन्होंने श्री अभिजेय डे को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया था जिनकी सेवा को बाद में धोखाधड़ी करने के लिए 15.01.2020 को समाप्त किया गया था। During the hearing DSPL stated that after resignation of Mr. Vikram Rathod, Director, who was involved in the fraud, it had appointed Mr. Abhijey Dey as Additional Director who was later on terminated on 15.01.2020 for perpetration of fraud.

2.4 टिप्पणी और निष्कर्ष / Observation and Conclusion:

2.4.1 नवीकरण के समय डीएसपीएल के विरुद्ध शिकायतें / विवाद विद्यमान थे, जिनके अनुसरण में श्री विक्रम राठौड़ द्वारा त्यागपत्र दिया गया और उनके विरुद्ध अनुवर्ती एफआईआर दर्ज की गई। इन विवादों को 05.02.2019 के नवीकरण आवेदन में प्रकट नहीं किया गया था। सीए के नवीकरण आवेदन में लंबित विवादों को 'शून्य' के रूप में दर्शाया गया है। तथापि, डीएसपीएल के दिनांक 18.07.2023 के प्रस्तुतीकरणों के अनुसार डीएसपीएल द्वारा प्रस्तुत की गई दावेदारों की निदर्शी सूची से यह पाया गया कि उसने माह मई, 2023 तक 58 व्यक्तियों को कुल मिलाकर रु. 76,12,258/- के भुगतान किये हैं। डीएसपीएल ने ई-मेल दिनांक 10.08.2021 के अनुसार किये गये अपने प्रस्तुतीकरणों में शिकायतों की एक सूची प्रस्तुत की जहाँ पालिसियाँ वर्ष 2018 में जारी की गई थीं। इस प्रकार, डीएसपीएल नवीकरण की प्रक्रिया के दौरान विद्यमान विवादों से अवगत था और उसने प्राधिकरण को इसे अपनी ओर से प्रकट नहीं किया।

2.4.1 At the time of renewal, there were complaints/ disputes against DSPL, which were followed by resignation of Shri Vikram Rathod and subsequent FIR against him. These disputes were not disclosed in the renewal application dated 05.02.2019. The renewal application of the CA provides the pending disputes as 'NIL', however, as per the illustrative list of claimants submitted by DSPL vide its submissions dated 18.07.2023, it is noticed that it has made payments totalling Rs.76,12,258/- to 58 individuals till the month of May, 2023. DSPL in its submissions vide email dated 10.08.2021 provided a list of complaints where policies were issued during the year

<u>मेसर्स डीलमनी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में अंतिम आदेश</u> Final Order in the matter of M/s Dealmoney Securities Private Limited

पृष्ठ / Page 5 / 13

2018. Thus, DSPL was aware of the disputes during the process of the renewal and it did not disclose the same, suo moto, to the Authority.

2.4.2 डीएसपीएल ने स्वीकार किया है कि उनका निदेशक कपटपूर्ण व्यवहारों में संबद्ध था। नवीकरण आवेदन से यह देखा गया कि श्री विक्रम राठौड़, निदेशक ने डीएसपीएल से 05.02.2019 को त्यागपत्र दिया। नवीकरण की प्रक्रिया के दौरान श्री विक्रम राठौड़ के विरुद्ध फाइल की गई एफआईआर के बारे में प्राधिकरण को प्रकट नहीं किया गया और न ही उसे प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त, एससीएन के लिए उत्तर में डीएसपीएल के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि श्री विक्रम राठौड़ और अन्य संबद्ध व्यक्तियों ने धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि लौटाने के लिए एक समझौता किया है। डीएसपीएल का प्रस्तुतीकरण कि विनियमों के अनुसार इसका प्रकटीकरण करना उसके लिए अपेक्षित नहीं है, स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि यह प्राधिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है।

2.4.2 DSPL has admitted that it's Director was involved in fraudulent practices. From the renewal application, it was noticed that Shri Vikram Rathod, Director, resigned from DSPL on 05.02.2019. The FIR filed against Shri Vikram Rathod was not disclosed or submitted to the Authority during the renewal process. Further, it was admitted by DSPL in the reply to SCN that Shri Vikram Rathod and other connected persons arrived at a settlement to refund the defrauded money. The submission of the DSPL that it was not required to disclose the same as per the regulations is not accepted as it is a material information for the Authority.

2.4.3 सीईओ/निदेशक के त्यागपत्र के प्रकटीकरण के संबंध में, डीएसपीएल द्वारा संलग्न की गई कूरियर रसीद, वितरण का प्रमाण (पीओडी) नहीं है, क्योंकि कूरियर की प्राप्ति-स्वीकृति उसमें नहीं है। प्राधिकरण को किये गये अपने स्वयं के प्रस्तुतीकरणों का पता लगाने के लिए डीएसपीएल की असमर्थता आंतरिक नियंत्रणों के अभाव और अभिलेख प्रबंध प्रणाली में कमी को दर्शाती है। इसके अलावा, धोखाधड़ी में डीएसपीएल के निदेशकों की संबद्धता उचित नियंत्रणों के अभाव और अभिशासन तंत्र के अभाव का निरूपण करती है।

2.4.3 Regarding the non- disclosure of resignation of CEO/Director, the courier receipt attached by DSPL is not a Proof of Delivery (POD) as there is no acknowledgement of receipt of the courier. DSPL's inability to locate its own submissions to the Authority shows lack of internal controls and deficiency in record management system. Further, Involvement of DSPL's Directors in the fraud shows lack of proper controls and governance mechanism.

2.4.4 डीएसपीएल के निदेशकों के द्वारा कपटपूर्ण व्यवहारों की स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए, यह प्रमाणित किया जा सकता है कि उक्त धोखाधड़ी श्री विक्रम राठौड़, जिसने 05.02.2019 को त्यागपत्र दिया था तथा श्री अभिजेत डे जिनकी सेवा 15.01.2020 को समाप्त की गई थी, की सेवावधि के दौरान घटित हुई थी। उपर्युक्त टिप्पणियों के अनुसार, उक्त विनियम 22(2) का उल्लंघन 100 दिन से अधिक अवधि के लिए जारी रहा।

2.4.4 Considering the admission of fraudulent practices of Directors by DSPL, it can be established that the fraud happened during the term of Shri Vikram Rathod who resigned on 05.02.2019 and Shri Abhijet Dey, who was terminated on 15.01.2020. As per the above observations, the violation of the Regulation 22(2) continued for a period exceeding 100 days.

2.4.5 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि डीएसपीएल ने कारपोरेट एजेंट विनियम, 2015 के विनियम 22(2) का उल्लंघन किया है तथा इसके परिणामस्वरूप विनियम 22(6) के अनुसार विनियम 22 की शर्तों का पालन न करने से विनियामक कार्रवाई की जाएगी। बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 102(बी) के उपबंधों के अनुसार, प्राधिकरण में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

<u>मेसर्स डीलमनी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में अंतिम आदेश</u> Final Order in the matter of M/s Dealmoney Securities Private Limited

पृष्ठ / Page 6 / 13

प्राधिकरण इसके द्वारा 100 दिन से अधिक उल्लंघन की अवधि के लिए रु. 1 करोड़ (एक करोड़ रुपये) का अर्थदंड लगाता है।

2.4.5 Considering the above, it is concluded that DSPL is in violation of Regulation22 (2) of Corporate Agents Regulations, 2015 and consequently as per Regulation 22(6) failure to adhere to the conditions of Regulation 22 would attract regulatory actions. In exercise of the powers vested in the Authority as per the provisions of the section 102(b) of the Insurance Act, 1938, the Authority hereby imposes a penalty of Rs. 1 crore (Rupees one crore) for the violation period exceeding 100 days.

3. आरोप सं. / Charge No. 2

3.1 कारपोरेट एजेंट विनियम, 2015 की अनुसूची-III आचरण-संहिता के खंड II, उप-खंड 3 (ii) (ण) का उल्लंघन ।

3.1 Violation of Clause II, Sub-clause 3 (ii) (o) of the Schedule III Code of Conduct of Corporate Agents Regulations, 2015.

3.1.1 उपर्युक्त खंड के अनुसार, कोई भी कारपोरेट एजेंट/प्रधान अधिकारी/विनिर्दिष्ट व्यक्ति बीमा उत्पाद के वितरण को आगे बढ़ाने के संबंध में संभावित पालिसीधारकों के संपर्क के विवरण का उल्लेख करने, अपेक्षा करने, अग्रता उत्पन्न करने, परामर्श देने, परिचय कराने, पता लगाने या प्रस्तुत करने के लिए, एक विनिर्दिष्ट व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ वचनबद्ध नहीं होगा, प्रोत्साहन नहीं देगा, संविदा नहीं करेगा या किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं करेगा।

3.1.1 As per the above clause, no corporate agent/ principal officer/ specified person shall engage, encourage, enter into contract with or have any sort of arrangement with any person other than a specified person, to refer, solicit, generate lead, advise, introduce, find or provide contact details of prospective policyholders in furtherance of the distribution of the insurance product.

3.1.2 उक्त सीए ने प्रस्तुतीकरण किया कि धोखाधड़ी करनेवाले भूतपूर्व कर्मचारी थे, परंतु बाद में सीए ने प्रस्तुतीकरण किया कि उसने कई `सहायकों' (फेसिलिटेटर्स) को सेवा से बरखास्त किया है। सीए ने ई-मेल दिनांक 10 अगस्त 2021 के अनुसार प्रस्तुतीकरण किया था कि `सहायक' अग्रता उत्पन्न करनेवाले थे और कंपनी के कर्मचारी नहीं थे। विनियमों के अनुसार, कारपोरेट एजेंट बीमा उत्पन्न करनेवाले थे और कंपनी के कर्मचारी नहीं थे। विनियमों के अनुसार, कारपोरेट एजेंट बीमा उत्पाद के वितरण को आगे बढ़ाने में पालिसीधारकों के संपर्क के विवरण का उल्लेख करने, अपेक्षा करने, अग्रता उत्पन्न करने, परामर्श देने, परिचय कराने, पता लगाने या प्रस्तुत करने के लिए, विनिर्दिष्ट व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ वचनबद्ध नहीं होगा, प्रोत्साहन नहीं देगा, संविदा नहीं करेगा या किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं करेगा।

3.1.2 The CA had submitted that the perpetrators of the fraud were ex-employees, but later on the CA submitted that it had dismissed several 'facilitators'. The CA had submitted that 'facilitators' were lead generators and not employees of the company vide email dated 10th August, 2021. According to regulations, corporate agent shall not engage, encourage, enter into contract with or have any sort of arrangement with any person other than specified person, to refer, solicit, generate lead, advise, introduce, find, or provide contact details of policyholders in furtherance to the distribution of insurance product.

3.2 डीएसपीएल का प्रस्तुतीकरणः डीएसपीएल व्यवसाय की विभिन्न व्यवस्थाओं में लगा हुआ है, जिनमें शेयर दलाली, उधारकर्ता के लिए किसी ऋणदाता से ऋणों (गृह, कार, वैयक्तिक आदि) के लिए व्यवस्था करना, जारीकर्ता बैंकों की ओर से क्रेडिट कार्ड बेचना, बीमा का विक्रय करना (एक कारपोरेट एजेंट के रूप में) आदि शामिल हैं। उक्त सभी व्यवसाय शुल्क-आधारित व्यवसाय हैं, जिनमें डीएसपीएल एक

<u>मेसर्स डीलमनी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में अंतिम आदेश</u> Final Order in the matter of M/s Dealmoney Securities Private Limited

पृष्ठ / Page 7 / 13

एजेंट के रूप में कार्य करता है और अपनी सेवाओं के लिए शुल्क प्राप्त करता है। दिनांक 10 अगस्त 2021 के ई-मेल में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि 'सहायक' (फ़ेसिलिटेटर्स) बीमा व्यवसाय के लिए अग्रता उत्पन्न कर रहे हैं। वास्तव में, उक्त 'सहायक' (फेसिलिटेटर्स) ऋणों और क्रेडिट कार्डों जैसे अन्य व्यवसायों के लिए अग्रता उत्पन्न कर रहे थे। डीएसपीएल की नीति के अनुसार केवल विनिर्दिष्ट व्यक्ति ही ग्राहकों से बात करते हैं जो विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में बीमा पालिसियाँ खरीदने में रुचि रखते हैं। ऐसा एक भी शिकायत या आरोप नहीं है कि इनमें से कोई भी संस्था/व्यक्ति स्वयं डीएसपीएल की ओर से प्रतिनिधियों के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा एससीएन में उक्त आरोप 10 अगस्त 2021 के संदेश से संबंध नहीं रखता।

3.2 DSPL Submission: DSPL is engaged in various lines of business which includes stock broking, arranging for loans (home, car, personal etc.) for a borrower from a lender, selling credit cards on behalf of issuer banks, selling insurance (as a corporate agent) etc. All the businesses are fee-based businesses wherein DSPL acts as an agent and receives fees for its services. In the email dated 10 August, 2021, it is nowhere mentioned that the 'facilitators' were generating lead for the insurance business. In fact, the 'facilitators' were generating lead for other businesses like loans and credit cards. As per DSPL's policy only specified persons speak to customers who are interested in buying insurance policies as specified in the Regulations. There is no single complaint or allegation that any of these entities/ individuals have been representing themselves on behalf of DSPL and the charge in the SCN is not borne out of the communication dated 10 August, 2021.

3.3 टिप्पणी और निष्कर्ष / Observation and Conclusion

3.3.1 डीएसपीएल द्वारा प्रस्तुत किये गये नमूना `रिफ़रल करार' में खंड 5.1.1 में यह उल्लेख किया गया है कि सहायक (फ़ेसिलिटेटर) को आरबीआई, सेबी, एएमएफआई और आईआरडीएआई के विनियमों और सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा। डीएसपीएल का प्रस्तुतीकरण कि सहायक (फ़ेसिलिटेटर्स) केवल ऋणों और क्रेडिट कार्डों के व्यवसायों के लिए अग्रताएँ उत्पन्न कर रहे हैं, तथ्यों से संबंधित नहीं है तथा इस कारण से इसे स्वीकार नहीं किया जाता।

3.3.1 In the sample 'Referral Agreement' submitted by DSPL, it is mentioned in the clause 5.1.1 that the facilitator has to comply with regulations and statutory requirements of RBI, SEBI, AMFI and IRDAI. The DSPL's submission that facilitators were only generating leads for businesses of loans and credit cards is not borne out of facts and hence are not accepted.

3.3.2 डीएसपीएल ने दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई के रूप में `रिफ़रल करार' के सेवासमाप्ति (टर्मिनेशन) पत्र प्रस्तुत किये थे। सेवासमाप्ति पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि उक्त सहायक (फेसिलिटेटर) को 5.1.1 सहित कई खंडों का उल्लंघन किये हुए रूप में पाया गया है। सुनवाई के दौरान इस बात पर बल दिया गया कि डीएसपीएल के द्वारा की गई धोखाधड़ी बीमा व्यवसाय से संबंधित थी तथा ये सेवासमाप्ति पत्र उन कर्मचारियों के विरुद्ध डीएसपीएल के द्वारा की गई कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किये गये थे, जिन्होंने कार्यालयीन संसाधनों का दुरुपयोग किया था।

3.3.2 DSPL had submitted the termination letters of 'Referral Agreement' as an action against the errant employees. In the termination letter, it is mentioned that the facilitator has been found to be in violation of several clauses including 5.1.1. It was highlighted during the hearing that the fraud committed by DSPL was related to insurance business and these termination letters were submitted as an action taken by DSPL against the employees who had misused the official resources.

<u>मेसर्स डीलमनी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में अंतिम आदेश</u> Final Order in the matter of M/s Dealmoney Securities Private Limited

पृष्ठ / Page 8 / 13

3.3.3 डीएसपीएल के प्रस्तुतीकरणों के अनुसार, नमूना रिफ़रल करारों में से एक करार पर नियुक्ति की तारीख 5 नवंबर, 2017 है तथा इसी के लिए सेवासमाप्ति की तारीख 26 दिसंबर 2019 है। डीएसपीएल ने सहायकों (फेसिलिटेटर्स) की सेवाओं का उपयोग 100 दिन से अधिक अवधि के लिए किया। 3.3.3 As per the submissions of DSPL, the date of appointment on one of the sample Referral Agreements is 5th November, 2017 and the date of termination for same is 26th December, 2019. DSPL used the services of facilitators for a period exceeding 100 days.

3.3.4 अत: डीएसपीएल ने कारपोरेट एजेंट विनियम, 2015 की अनुसूची III - आचरण संहिता के खंड II, उप-खंड 3 (ii) (ण) का उल्लंघन किया है, जिसमें उन्होंने अपने बीमा व्यवसाय के लिए कई `सहायकों' (फेसिलिटेटर्स) की सेवाओं को काम में लिया है, जिसके लिए अनुमति उक्त विनियम के अनुसार नहीं है। बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 102 (बी) के उपबंधों के अनुसार प्राधिकरण में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण इसके द्वारा उल्लंघन की 100 दिन से अधिक अवधि के लिए रु. 1 करोड़ (एक करोड़ रुपये) का अर्थदंड लगाता है।

3.3.4 Hence, DSPL is in violation of Clause II, Sub clause 3 (ii) (o) of the Schedule III Code of Conduct of Corporate Agents Regulations, 2015, wherein they have engaged the services of several 'facilitators' for its insurance business, which are not permitted as per the regulation. In exercise of the powers vested in the Authority as per the provisions of the section 102(b) of the Insurance Act, 1938, the Authority hereby imposes a penalty of Rs. 1 crore (Rupees one crore) for the violation period exceeding 100 days.

4. आरोप सं. / Charge No.3

4.1 कारपोरेट एजेंट विनियम, 2015 के विनियम 22(5) का उल्लंघन 4.1 Violation of Regulation 22(5) of Corporate Agents Regulations, 2015

4.1.1 कारपोरेट एजेंट प्राधिकरण को अपने उन कार्यालयों के विवरण का प्रकटीकरण करेगा जिनमें वे बीमा उत्पादों का वितरण करने का प्रस्ताव करते हैं तथा प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र की संख्या सहित विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के विवरण का प्रकटीकरण करेगा। इसके अतिरिक्त, कारपोरेट एजेंट द्वारा किसी कार्यालय को खोलने या बंद करने की सूचना प्राधिकरण को दी जाएगी। प्राधिकरण ऐसी अतिरिक्त सूचना की अपेक्षा कर सकता है जो वह उपयुक्त समझता है।

4.1.1 The corporate agent shall disclose to the Authority the details of its offices in which they propose to distribute insurance products and details of Specified Persons along with their certificate number issued by the Authority. Further, any opening or closure of an office by a corporate agent shall be informed to the Authority. The Authority may seek further information as it deems appropriate.

4.1.2 सीए ने अपने कोलकाता कार्यालय को बंद करने की तारीख के संबंध में सूचित नहीं किया था। इस कार्यालय में की गई धोखाधड़ी का विवरण प्राधिकरण को तब सूचित किया गया जब धोखाधड़ी को सार्वजनिक करने के उपरांत स्पष्टीकरण माँगा गया था।

4.1.2 The CA had failed to inform regarding the date of closure of its Kolkata office. The details of fraud perpetrated at this office were intimated to the Authority once clarification was sought; post the fraud being made public.

4.2 डीएसपीएल का प्रस्तुतीकरण: कोलकाता कार्यालय को अस्थायी तौर पर बंद किया गया था क्योंकि डीएसपीएल उन लोगों की पूरी सूची का पता लगा रहा था, जो कथित गलत कार्य में संबद्ध थे तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगे कोई धोखाधड़ी न हो। दुर्भाग्यवश, जनवरी 2020 में देश को कोविड-

<u>मेसर्स डीलमनी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में अंतिम आदेश</u> Final Order in the matter of M/s Dealmoney Securities Private Limited

पृष्ठ/Page 9/13

19 महामारी का आघात सहना पड़ा तथा मार्च, 2020 में राष्ट्रव्यापी लाकडाउन घोषित किये गये थे। उक्त लाकडाउन 8 जून, 2020 तक विद्यमान थे तथा उसके बाद एक चरणबद्ध रूप में इन्हें पुन: खोला गया। अनेक सरकारी प्रतिबंध थे जिन्होंने उक्त कार्यालयों को पुनः परिचालित करने की अनुमति नहीं दी थी। ई-मेल दिनांक 6 जनवरी, 2020 के अनुसार प्राधिकरण को यह सूचित किया गया कि कोलकाता से सभी परिचालन बंद किये गये। राष्ट्रव्यापी लाकडाउनों के कारण, कोलकाता कार्यालय को पुन: नहीं खोला जा सका तथा यह तथ्य कि कार्यालय बंद किया गया, दिनांक 6 जनवरी, 2020 के ई-मेल के द्वारा विधिवत् सूचित किया गया। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, कोलकाता कार्यालय को अंशतः परिस्थितियों के कारण एवं अंशतः अनिवार्यताओं के कारण बंद किया गया है।

4.2 DSPL Submission: The Kolkata office was closed temporarily as DSPL was ascertaining the complete list of people who were involved in the alleged wrong doing and in order to ensure that no fraud perpetrates any further. Unfortunately, the Covid-19 pandemic hit the country in January 2020 and nationwide lockdowns were announced in March, 2020. The lockdowns were in place till 8th June, 2020 and thereafter had a phased reopening. There were several government restrictions which did not allow full operationalization of the offices. Vide email dated 6th January, 2020 it was informed to the Authority that all operations from Kolkata were stopped. Due to the nationwide lockdowns, Kolkata Office could not be re-opened and the fact that the office was closed was duly communicated by the email dated 6th January, 2020. Due to all these factors, the Kolkata office has been closed down partly due to circumstances and partly due to compulsions.

4.3 टिप्पणी और निष्कर्ष / Observation and Conclusion

डीएसपीएल ने दिनांक 6 जनवरी, 2020 के द्वारा प्राधिकरण को सूचित किया था कि उन्होंने कोलकाता कार्यालय में परिचालन बंद किये हैं और वे उस कार्यालय में सभी व्यक्तियों की संबद्धता की जाँच कर रहे हैं। तथापि, विनियम 22(5) का विशिष्ट उपबंध कहता है कि कार्यालय खोलने और बंद करने की सूचना प्राधिकरण को दी जानी चाहिए। डीएसपीएल ने उस तारीख की पुष्टि नहीं की जब कार्यालय को आधिकारिक तौर पर बंद किया गया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि डीएसपीएल ने कोलकाता कार्यालय को बंद करने की सूचना दी थी तथा यह प्रस्तुतीकरण कि उक्त कार्यालय धोखाधड़ी को नियंत्रित करने के लिए और अन्य सरकारी अधिदेशों (मैंडेट्स) के कारण बंद किया गया था, इस उल्लंघन के लिए आरोपों पर बल न देने का निर्णय किया गया है।

DSPL had informed the Authority vide email dated 6th January, 2020 that they had stopped operations at the Kolkata office and they were investigating involvement of all persons in that office. However, the specific provision of Regulation 22 (5) states that the closure and opening of the office is to be informed to the Authority. DSPL did not confirm the date on which the office was officially closed. Considering the fact that DSPL had informed about the closure of Kolkata Office and the submission that the office was closed to curb the fraud and due to other Government mandates it is decided to not press charges for this violation.

5. आरोप सं. / Charge No. 4

5.1 आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 की अनुसूची III – आचरण संहिता के खंड II, उप-खंड 3(ii) (ठ) का उल्लंघन

5.1 Violation of Clause II, Sub-clause 3 (ii) (I) of the Schedule III Code of Conduct of IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015-

5.1.1 कोई भी कारपोरेट एजेंट/ प्रधान अधिकारी/ विनिर्दिष्ट व्यक्ति बीमा उत्पादों की अपेक्षा (सलिसिटेशन) और प्रापण के लिए बहु-स्तरीय विपणन नहीं करेगा।

5.1.1 No corporate agent/ principal officer / specified person shall undertake multi-level marketing for soliciting and procuring of insurance products

5.1.2 यह देखा गया है कि एक संस्था अर्थात् मेसर्स पी.पी. एन्टरप्राइजेस लिमिटेड सीए का उप दलाल है। इसके अतिरिक्त, प्रांजलि वायकर का भी उल्लेख प्रस्तुतीकरणों में अपने उप-दलाल के रूप में किया गया है। मेसर्स पी.पी. एन्टरप्राइजेस और प्रांजलि वायकर बहु-स्तरीय विपणन में लिप्त रहे होंगे।

5.1.2 It is noted that an entity i.e. M/s P.P. Enterprises Ltd was a sub broker of the CA. Further, Pranjali Vaykar has also been mentioned as its sub- broker in the submissions. M/s P.P. Enterprises and Pranjali Vaykar may have indulged in multi-level marketing.

5.2 डीएसपीएल का प्रस्तुतीकरणः डीएसपीएल व्यवसाय की विभिन्न व्यवस्थाओं में है। पीपी एन्टरप्राइजेस लि. और प्रांजलि वायकर को गैर-बीमा संबंधी व्यवसाय में उप-दलालों के रूप में नियुक्त किया गया था और बीमा व्यवसाय में निर्वाह करने के लिए उनकी कोई भूमिका नहीं थी। पीपी एन्टरप्राइजेस लि. और प्रांजलि वायकर को बीमा की अपेक्षा करने / प्रापण करने में नहीं लगाया गया था। बीमा की अपेक्षा (सलिसिटेशन) / प्रापण संस्था के अंदर केवल प्राधिकृत व्यक्तियों के द्वारा ही किया गया है। इस बात का खंडन किया जाता है कि हमने किसी भी व्यवसाय की अपेक्षा करने या प्रापण करने के लिए बहु-स्तरीय विपणन किया है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि उपर्युक्त दोनों में से किसी भी व्यक्ति ने डीएसपीएल के हिए बीमा व्यवसाय की अपेक्षा (सलिसिटेशन) या प्रापण करने के लिए बहु-स्तरीय विपणन किया है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि उपर्युक्त दोनों में से किसी भी व्यक्ति ने डीएसपीएल के हिए बीमा व्यवसाय की अपेक्षा (सलिसिटेशन) या प्रापण करने के लिए बहु-स्तरीय विपणन किया है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि उपर्युक्त दोनों में से किसी भी व्यक्ति ने डीएसपीएल के हिए बीमा व्यवसाय की अपेक्षा (सलिसिटेशन) या प्रापण किया है। एफआईआर और डीएसपीएल के ई-मेल दिनांक 10 अगस्त 2021 के अनुसार झूठी खाता बहियाँ निर्मित की गई थीं तथा रु 92 लाख (लगभग) और रु 1.62 करोड़ (लगभग) राशि की दलालियों/उप-दलालियों के भुगतान किये गये थे। डीएसपीएल ने प्रस्तुतीकरण किया कि कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा किये गये / प्रापण किये गये कुछ व्यवसाय को उप-दलालों अर्थात् मेसर्स पीपी एन्टरप्राइजेस और प्रांजलि वायकर द्वारा लाग-इन किये गये रूप में गलत ढंग से दर्शाया गया है।

5.2 DSPL Submission: DSPL is in various lines of business. PP enterprises Ltd. and Pranjali Vaykar were appointed as sub-brokers for non-insurance related business and had no role to play in the insurance business. PP enterprises Ltd. and Pranjali Vaykar were not engaged in soliciting / procuring insurance. The insurance solicitation / procurement is done only by authorized persons within the organization. It is denied that we have undertaken any multi-level marketing for soliciting or procuring any business. There is no evidence that either of the aforesaid persons solicited or procured any insurance business for the DSPL. As per the FIR and DSPL mail dated August 10,2021 false ledgers were created and payouts of brokerages/ sub-brokerages of amount Rs. 92 Lakh (approx..) and Rs.1.62 Crores (approx.) were made. DSPL had submitted that some of the business that was done / procured by the employees of the company was falsely shown as logged in by sub-brokers namely M/s PP Enterprises and Pranjali Vaykar.

5.3 टिप्पणी और निष्कर्ष / Observation and Conclusion:

मामले के तथ्य निर्दिष्ट करते हैं कि डीएसपीएल के द्वारा भुगतान किये गये थे, परंतु बीमा की अपेक्षा करने के लिए बहु-स्तरीय विपणन को सिद्ध नहीं किया जा सकता। अतः प्राधिकरण ने इस उल्लंघन के लिए आरोपों पर बल न देने का निर्णय लिया है।

The facts of the case indicate that there are payouts made by DSPL but multilevel marketing for soliciting insurance cannot be established. Therefore, Authority has decided not to press charges for this violation.

मेसर्स डीलमनी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में अंतिम आदेश

Final Order in the matter of M/s Dealmoney Securities Private Limited

आदेश सं. आईआरडीएआई/आईएनटी/ओआरडी/एमआईएससी/42/2/2024 Order No. IRDAI/INT/ORD/MISC/42/2/2024

6. Decision / निर्णय:

6.1 डीएसपीएल के परिचालनगत आचरण ने अभिशासन में कमियाँ, पर्याप्त नियंत्रणों का अभाव, महत्वपूर्ण परिवर्तनों की सूचना प्राधिकरण को देने में विफलता और उल्लंघन करते हुए सहायकों को बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करने की अनुमति देना दर्शाया है जो कारपोरेट एजेंट विनियम, 2015 के उपबंधों का उल्लंघन करने के समान है। पूर्वाक्त उल्लंघनों को ध्यान में रखते हुए, जिनके बारे में ऊपर विस्तार से बताया गया है, प्राधिकरण बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 102 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार दंड लगाता है:

6.1 The operational conduct of DSPL exhibited deficiencies in governance, lacked adequate controls, failure to inform the Authority of material changes and permitting facilitators to solicit insurance business in violation tantamount to violations of the provisions of the Corporate Agents Regulations 2015. Considering the aforementioned violations, as dealt in detail above, the Authority in exercise of powers vested in Section 102 of the Insurance Act, 1938 imposes penalty as under:

| आरोप सं. | उल्लंघन के संबंधित उपबंध | निर्णय |
|-----------|--|---------------------------|
| Charg No. | Violation of Provisions | Decision |
| 1 | कारपोरेट एजेंट विनियम, 2015 का विनियम 22 (2) | एक करोड़ रुपये का अर्थदंड |
| | Reg. 22 (2) of Corporate Agents | Penalty of Rs. One Crore |
| | Regulations, 2015 | |
| 2 | आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) | एक करोड़ रुपये का अर्थदंड |
| | विनियम, 2015 की अनुसूची ।।। आचरण संहिता का | Penalty of Rs. One Crore |
| | खंड II, उप-खंड 3 (ii) (ण) | |
| | Clause II, Sub- clause 3 (ii) (o) of the | |
| | Schedule III Code of Conduct of IRDAI | |
| | (Registration of Corporate Agents) | |
| | Regulations, 2015 | |
| 3 | आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) | बल नहीं दिया गया |
| | विनियम, 2015 का विनियम 22(5) | Not pressed |
| | Regulation 22(5) of IRDAI (Registration of | |
| | Corporate Agents) Regulations, 2015 | |
| 4 | आईआरडीएआई कारपोरेट एजेंट विनियम, 2015 | बल नहीं दिया गया |
| | की अनुसूची ।।। आचरण संहिता का खंड ।।, उप-खंड | Not pressed |
| | 3 (ii) (J) | , |
| | Clause II, Sub- clause 3 (ii) (I) of the | |
| | Schedule III Code of Conduct of IRDAI | |
| | Corporate Agents Regulations, 2015 | |

6.2 उक्त धोखाधड़ी में निदेशकों अर्थात् श्री विक्रम राठोड़ और श्री अभिजीत डे की संबद्धता कारपोरेट अभिशासन की विफलता को दर्शाती है। डीएसपीएल के उक्त निदेशकों ने पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण नहीं किया। इसके अलावा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि डीएसपीएल ने प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों के द्वारा विनिर्दिष्ट आचरण संहिता का उल्लंघन किया है, प्राधिकरण मेसर्स डीलमनी सेक्यूरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, श्री विक्रम राठोड़ और श्री अभिजीत डे को बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42(डी) की उप-धारा 5 के खंड (जी) के अंतर्गत निरहित (डिसक्वालिफाइड) के रूप में घोषित करता है। 6.2 The involvement of Directors viz. Shri Vikram Rathod and Shri Abhijet Dey, of DSPL in the fraud shows failure of corporate governance. The Directors of DSPL failed to protect the interest of the policyholders. Further, considering the fact DSPL violated the

<u>मेसर्स डीलमनी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में अंतिम आदेश</u> Final Order in the matter of M/s Dealmoney Securities Private Limited

आदेश सं. आईआरडीएआई/आईएनटी/ओआरडी/एमआईएससी/42/2/2024 Order No. IRDAI/INT/ORD/MISC/42/2/2024

Code of Conduct specified by the Regulations made by the Authority, the Authority declares M/s Dealmoney Securities Private Limited, Shri Vikram Rathod and Shri Abhijet Dey as disqualified under the clause (g) of sub section 5 of Section 42(D) of the Insurance Act, 1938.

6.3 इसके अतिरिक्त, उक्त गंभीर चूकों और कारपोरेट अभिशासन व्यवहारों के अभाव को ध्यान में रखते हुए तथा जनसाधारण के हित का संरक्षण करने के लिए, प्राधिकरण कारपोरेट एजेंट विनियम, 2015 की अनुसूची V के खंड II के उप-खंड (3) के उपबंधों के अनुसार अपने में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेसर्स डीलमनी सेक्यूरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को बीमा बाजार से, `बीमा मध्यवर्ती' के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने से तथा प्राधिकरण के सामूहिक बीमा संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी प्रकार से बीमा की अपेक्षा (सलिसिटेशन) करने से इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निषिद्ध करता है।

6.3 Further, considering the serious lapses and lack of corporate governance practices and to protect the interest of general public, the Authority, in exercise of the powers vested in it as per the provisions of the sub clause (3) of clause II of Schedule V of the Corporate Agents Regulations 2015 prohibits M/s Dealmoney Securities Private Limited from the insurance market, from applying for registration as 'insurance intermediary' and from soliciting insurance under the Group Insurance Guidelines of the Authority, directly or indirectly, in whatsoever manner, for a period of three years from the date of this order.

6.4 इसके अतिरिक्त, डीएसपीएल को उक्त धोखाधड़ियों के पीड़ित व्यक्तियों की पहचान करना और यह सुनिश्चित करना जारी रखना चाहिए कि उनकी हानि के लिए उनकी क्षतिपूर्ति की जाए। इसके अलावा, डीएसपीएल को निदेश दिया जाता है कि इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्राधिकरण को 6 महीने की अवधि के अंदर प्रस्तुत करें।

6.4 Further, DSPL has to continue to identify the victims of the frauds and ensure that they are compensated for their loss. Further, DSPL is directed to submit an action taken report in this regard to the Authority within a period of 6 months.

6.5 रु. 2 करोड़ (केवल दो करोड़ रुपये) के अर्थदंड की राशि डीएसपीएल के द्वारा एनईएफटी/ आरटीजीएस (जिसके लिए विवरण अलग से सूचित किया जाएगा) के माध्यम से इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के अंदर विप्रेषित किया जाएगा।

6.5 The penalty amount of Rs.2 Crores (Rupees Two Crores only) shall be remitted by DSPL within a period of forty-five days from the date of receipt of this order through NEFT/RTGS (details for which will be communicated separately).

7. यदि डीएसपीएल इस आदेश से असंतुष्ट है, तो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 110 के अंतर्गत निर्धारित उपबंधों के अनुसार प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

If DSPL is aggrieved by this order, an appeal may be preferred before the Securities Appellate Tribunal, as per the provisions stipulated under Sec 110 of the Insurance Act, 1938.

(एस. एन) राजेस्वरी (S. N. Rajeswari) सदस्य (वितरण) / Member (Distribution)

स्थान / Place: हैदराबाद / Hyderabad दिनांक / Date: 22.02.2024

<u>मेसर्स डीलमनी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में अंतिम आदेश</u> Final Order in the matter of M/s Dealmoney Securities Private Limited

핏장/Page 13/13